प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 104 / **2023** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. श्री सोहनलाल कोठारी पताः कन्याशाला के पास, वल्लभनगर, उदयपुर (राज0)

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 104 / 23 / 1118–19 दिनांक 29.08.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपने जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः आरटीआई / 2023 / 43 दिनांक 22.09.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय का अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में दिनांक 15.07.2023 को आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन मे चाही गयी सूचना तैयार कर प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई / 2023 / 33 दिनांक 17.08.2023 के जरिये सूचना शूल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया परन्तु त्रुटिवश उक्त पत्र देरी से दिनांक 21.08.2023 को डाकघर से स्पीड पोस्ट करवाया गया जो प्रार्थी को समयावधि पूरी हो जाने के बाद प्राप्त होने से सूचना शूल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त नहीं की गयी। उक्त सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2023/41 दिनांक 22.09.2023 के जरिये प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। वांछित सूचना प्रार्थी ने कार्यालय हाजा में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्राप्त की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर ली है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 41 दिनांक 22.09.2023 के क्रम में प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर